न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1 भदोही ज्ञानपुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1183 सन् 2022

CNR No.:UPSN01-002346-2022

सावित्री देवी उम्र लगभग 58 वर्ष पत्नी जीवनलाल निवासी नवधन , थाना ऊँज, जिला भदोही।

.....प्रार्थिनी/अभियुक्ता।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य

2. सुजीत कुमार उम्र लगभग 58 वर्ष पुत्र विनायक उपाध्याय निवासी नवधन , थाना ऊँज, जिला भदोही।

.....अभियोजन।

मुकदमा परिवाद संख्या 3447 सन् 2020

धारा–323,504,506,467,468,471

भा.दं.सं., थाना ऊँज, जिला भदोही।

03.01.2023

प्रार्थिनी/अभियुक्ता सावित्री देवी की ओर से मुकदमा परिवाद संख्या 3447 सन् 2020, अन्तर्गत धारा–323, 504, 506, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता, थाना ऊँज, जिला भदोही के प्रकरण में अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में, परिवाद कथानक इस प्रकार है कि चक संख्या 188 प्रस्तावित नम्बर 1037 मि0 रकवा 1 विस्वा 19 धूर एवं 1059 मि0 रकवा 12 विस्वा कुल 13 विस्वा 19 धूर स्थित मौजा नवधन में से 1/2 सम्पूर्ण वैधानिक अंश यानि 6 साढ़े 19 धूर मय चौहद्दी वांछित प्रतिफल लेकर अभियुक्त जीवनलाल ने दिनांक 22.12.1997 को प्रार्थी की माता कलावती देवी पत्नी स्व 0 विनायक उपाध्याय के पक्ष में रजिस्टर्ड सट्टा बैनामा निष्पादित किया और पुनः दिनांक 12.01.1998 को सम्पूर्ण रूपया लेकर मां कलावती के हक में जिस्टर्ड विक्रय विलेख निष्पादित कर दिया और कब्जा दखल दे दिया तभी से प्रार्थी अपनी माता के साथ उक्त जमीन पर काबिज दखील चला आ रहा है। उसके माता की मृत्यु हो गयी जिसका वारिस प्रार्थी व उसके दो भाई है। घर पर उपस्थित न रहने के कारण उक्त बैनामा का नामान्तरण नहीं हो सका। उक्त विक्रीत सुदा सम्पत्ति को अभियुक्त जीवनलाल यह जानते हुये कि उक्त जमीन वह बेच चुका है , अब उसे बेचने का कोई अधिकार नहीं है , किन्तु नाजायज लाभ प्राप्त करने एवं धोखा करने की नियत से दिनांक 15.01.2020 को पुनः अन्य अभियुक्तगण को साजिश में लेकर अपनी पत्नी सावित्री देवी के पक्ष में विक्रय विलेख कर दिया। प्रार्थी नामान्तरण के लिए जब इन्तखाब लिया तब मालूम हुआ कि दिनांक 15.01.2020 के बैनामा के आधार पर जीवनलाल का नाम निरस्त होकर

सावित्री का नाम दर्ज हो गया तो दिनांक 22.07.2020 को फर्जी एवं कूटरचित बैनामा के समबन्ध में अभियुक्त के घर जाकर पूछताछ किया जिस पर वे नाराज होकर मां बहन की भद्दी–2 गाली व जान से मारने की धमकी दिये।

अभियुक्त के विद्धान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क व आधार अग्रिम जमानत में कथन किया गया कि प्रार्थिनी के पति जीवनलाल ने कभी भी परिवादी की मां कलावती देवी के हक में कोई सट्टा इकरारनामा अथवा बैनामा तहरीर नहीं किया है , बल्कि वास्तविकता यह है कि कलावती देवी के जीवनकाल में उनके पुत्र सुंजीत कुमार उपाध्याय, सुजीत कुमार उपाध्याय के मित्र शीतला प्रसाद पुत्र नन्हकू गुप्ता ने आपस में साजिश करके प्रार्थिनी के पति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके उसके पति का फर्जी हस्ताक्षर बना करके दौरान चकबन्दी के चक नम्बर 188 प्रस्तावित नम्बरान 1037 मि0 रकवा 1 विस्वा 19 धूर व 1059 मि0 रकवा 12 विस्वा में 1/2 रकवा 6 विस्वा साढ़े 19 धूर का बैनामा फर्जी प्रतिफल 45000/–रूपये दिखाते हुये दिनांक 12.01.1998 को तैयार कराकर उसे पंजीकृत करा लिये और कलावती देवी के जीवनकाल में एवं उनके मरने के बाद कभी भी कथित बैनामा के आधार पर नामान्तरण हेतु प्रार्थनापत्र नहीं दिये और तथाकथित बैनामा दिनांक 12.0.1.1998 को छिपाकर रखे और उससे असम्बद्ध गवाहों को परीक्षित कराया गया जिससे घटना साबित नहीं है। प्रार्थिनी द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि कथित बैनामा को निरस्त कराने के लिए मुकदमा सिविल जज,जू0 डि0 के न्यायालय में विचाराधीन है। आगे यह तर्क दिया गया कि कथित मामले को लेकर परिवादी व उसका साथी शीतला प्रसाद उसके पति को मां बहन की गाली देते हुये हाथ मुका से मारे पीटे उसका पुत्र बचाने आया तो उसे भी मारे जिसके बावत मुकदमा न्यायिक मजि 0, द्वितीय के यहां दाखिल किया गया , जिसमें परिवादी व उसके साथी शीतला प्रसाद तलब किये गये है। आगे यह तर्क दिया गया कि प्रश्नगत बैनामा दिनांकित 12.01.1998 की वैधानिकता के सम्बन्ध में पक्षों के बीच सक्षम न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। प्रार्थिनी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसे झूठा मुकदमे में फंसाया गया है। अंत में प्रार्थिनी को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

उपरोक्त के विपरीत सुजीत कुमार द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर यह कथन किया गया कि अवर न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्ता व उसके पति को तलब किया गया है। सट्टा इकरारनामा के आधार पर दिनांक 12.01.1998 को प्रार्थिनी सावित्री देवी के पति जीवनलाल ने उक्त जमीन का विक्रय विलेख कलावती देवी के पक्ष में निष्पादित कराकर कब्जा दखल दे दिया , जिस पर कलावती देवी का कब्जा सावित्री व उसके पति स्वीकार करते चले आये। अभियुक्ता व उसके पति चालाक व फितरती किस्म के व्यक्ति है कलावती देवी के नामान्तरण का आदेश न होने का फायदा उठाने की गरज से सावित्री देवी ने पुनः अपने नाम बैनामा करा

लिया। अभियुक्ता सावित्री देवी अग्रिम जमानत की हकदार नहीं है अतः अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाय।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि अभियुक्ता द्वारा फर्जी एवं जाली सट्टा बैनामा के आधार पर नामान्तरण का आदेश पारित करवाकर गम्भीर अपराध कारित किया है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाये।

प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्को को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

उल्लेखनीय है कि उक्त विक्रीत सुदा सम्पत्ति को अभियुक्त जीवनलाल यह जानते हुये कि उक्त जमीन वह बेच चुका है , अब उसे बेचने का कोई अधिकार नहीं है , फिर भी नाजायज लाभ प्राप्त करने एवं धोखा देने की नियत से दिनांक 15.01.2020 को पुनः अन्य अभियुक्तगण को साजिश में लेकर अपनी पत्नी सावित्री देवी के पक्ष में विक्रय विलेख कर दिया। अभियुक्ता द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर फर्जी एवं जाली रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर तहसील से अपने नामान्तरण का आदेश पारित करवाकर गम्भीर अपराध कारित किया गया है एवं परिवादी के साथ मारपीट एवं गाली गलौज किया, गाली देने से मना करने पर जान से मारने की धमकी दिया। इस सम्बन्ध में वादी मुकदमा द्वारा न्यायालय में परिवाद संस्थित किया गया है।

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर विचार करते समय अभियोग की प्रकृति व गंभीरता, आवेदिका के पूर्व वृत्त तथा न्याय से भागने की आवेदिका की संभाव्यता के साथ–साथ यह भी देखना अपेक्षित है कि क्या आवेदिका को इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया है।

अभियुक्ता की ओर से विधि व्यवस्था 2020 (111) ए. सी. सी. 768 माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं विधि व्यवस्था 2003 सी0 आर 0 एल 0 जे0 265 माननीय उच्च न्यायालय, कर्नाटका प्रस्तुत की गयी है। उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं का सम्मान पूर्वक अवलोकन किया। उक्त विधि व्यवस्थाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मामले में आरोपपत्र अथवा गैर जमानतीय वारण्ट जारी होने पर अग्रिम जमानत के आधार पर्याप्त नहीं है। जैसा कि प्रस्तुत प्रकरण में भी गैर जमानतीय वारण्ट जारी किये जाने के आदेश विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया है एवं मामला परिवाद पर आधारित है जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य संकलन के उपरान्त अभियुक्तगण को आहूत किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त विधि व्यवस्थओं का लाभ अभियुक्ता पाने की अधिकारिणी नहीं है।

उभय पक्षों के तर्कों पर विचार करने तथा प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि मामले में विचारण न्यायालय द्वारा परिवादी के एवं उसके गवाहों के साक्ष्य

संकलित करने के उपरान्त अभियुक्ता को विचारण हेतु आहूत किया गया है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों से ऐसा प्रकट नहीं होता है कि वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्ता को क्षति पहुंचाने एवं अपमानित करने के उद्देश्य से परिवाद योजित की गयी है। कथित जुर्म की प्रकृति व गंभीरता एवं मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुण – दोष पर कोई विचार व्यक्त किये बिना वर्तमान मामले में प्रार्थिनी /अभियुक्ता को अग्रिम जमानत देने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः प्रार्थिनी/अभियुक्ता सावित्री देवी का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी/अभियुक्ता सावित्री देवी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,

दिनांक 03.01.2023 भदोही ज्ञानपुर।

Digitally signed by Shailoj Chandra
Date: 2023.01.05 13:44:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court